



भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

बाजार मध्यवर्ती विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग - 4
MARKET INTERMEDIARIES REGULATION & SUPERVISION DEPARTMENT - 4

एमआईआरएसडी-4/SG/24230/1/2017
04/09/2017

RIKHAV SECURITIES LIMITED
Trade Name: RIKHAV SECURITIES LIMITED
OFFICE NO-922-A, 9TH FLOOR, P J TOWER,
DALAL STREET
MUMBAI
MAHARASHTRA
400001

महोदय / महोदया,
Dear Sir / Madam,

विषय / Sub : रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र - स्टॉक दलाल / Registration Certificate – Stock Broker

1) आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 6 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा आपको स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया गया है। We are pleased to inform you that you have been granted Registration as a Stock Broker by the Securities and Exchange Board of India under Regulation 6 of SEBI (Stock Brokers & Sub-Brokers) Regulations, 1992.

प्रमाणपत्र संख्या / The certificate number **374** दिनांक / dated **29/09/2017** संलग्न है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या इस प्रकार है / bearing registration number : **INZ000157737** is enclosed.

आप कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पत्र-व्यवहार करते समय ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण संख्या का अवश्य उल्लेख करें।

You are advised to quote the above referred registration number in all correspondence with Securities and Exchange Board of India.

सेबी भवन, प्लॉट सं. सी 4-ए, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
दूरभाष : 2644 9950 / 4045 9950 (आई.वी.आर.एस.), 2644 9000 / 4045 9000 फैक्स : 2644 9019 से 2644 9022 वेब : www.sebi.gov.in



अनुवर्ती :
Continuation :

**भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड**
**Securities and Exchange
Board of India**

2) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त पर प्रदान किया जा रहा है कि आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनियमों तथा सभी निदेशों का पालन करेंगे ।

The certificate of registration is granted subject to the condition that you shall comply with the regulations and all directives issued by SEBI from time to time.

3) आपका ध्यान भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 9 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार किसी स्टॉक दलाल को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होता है, अर्थात् :

Your attention is invited to Regulation 9 of the Securities and Exchange Board of India (Stock Broker & Sub Brokers) Regulations, 1992, whereby the registration certificate granted to a stock broker is subject to the following conditions, namely:

क) वह किसी स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता धारण करता हो ;
He holds the membership of any stock exchange;

ख) वह नियमों, विनियमों और उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) की उप-विधियों (बाय-लॉज) का पालन करेगा, जिसका वह सदस्य हो ;
He shall abide by rules, regulations and bye – laws of the Stock Exchange(s) of which he is a member;

ग) नियंत्रण में कोई परिवर्तन होने पर, स्टॉक दलाल किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की खरीद, बिक्री या उनमें लेन-देन को जारी रखने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की पूर्व अनुमति लेगा ;
In case of any change in control, the stock broker shall obtain prior permission of the Securities and Exchange Board of India to continue to buy, sell or deal in securities in any Stock Exchange;

घ) वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में दिये हुए ढंग से रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस की रकम अदा करेगा ;

18



अनुवर्ती :
Continuation :

भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

He shall pay the amount of fees for registration in the manner provided in the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulation, 1992;

- ड) वह निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर, यथोचित कदम उठायेगा और बोर्ड को सूचित करेगा, जब कभी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाये ;

He shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint and inform the Board as and when required by the Board;

- च) वह अनुसूची-II में दी हुई आचार संहिता का सदैव पालन करेगा;

He shall at all times abide by the Code of Conduct as specified in Schedule II;

- छ) वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 की अनुसूची-VI में यथा निर्धारित न्यूनतम शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) सदैव बनाये रखेगा ; और

He shall at all times maintain the minimum networth as specified in Schedule VI of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulation, 1992 ; and

- ज) आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा एएमएल के संबंध में जारी किए गए परिपत्रों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे, जिनके अंतर्गत एफआईयू-आईएनडी को निर्धारित रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई है, और आपके लिए यह भी अनिवार्य है कि आप फिननेट गेटवे के जरिए एफआईयू-आईएनडी के यहाँ रजिस्टर हों ।

You shall ensure compliance with the provisions of AML circulars issued by SEBI which require furnishing of prescribed reports to FIU-IND and you shall also mandatorily get registered with FIU-IND through FINnet Gateway.

- 4) आपको एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रमाणपत्र में जिस नाम का उल्लेख है आप केवल उसी नाम से प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या उनमें लेन-देन कर सकेंगे, न कि अपने निदेशकों के नामों से जो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हो सकते हैं ।

8/25



अनुवर्ती :
Continuation :

**भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड**
**Securities and Exchange
Board of India**

You are hereby informed that you are allowed to buy, sell or deal in securities only in the name and style written in the certificate enclosed and not in the names of your Directors who may be members of the Stock Exchange.

5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने की उपरोक्त शर्तों के खंड (घ) के अनुसार, अब आपसे यह अपेक्षित है कि आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 की अनुसूची-III एवं अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 8 के अनुसार फीस अदा करें और उस स्टॉक एक्सचेंज के जरिये फीस भिजवायें जिसके आप सदस्य हैं। सभी स्टॉक एक्सचेंजों को स्टॉक दलालों से फीस एकत्र करने और उसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को प्रेषित करने के संबंध में अलग से आवश्यक अनुदेश दिये हुए हैं।

You are now, in terms of clause (d) of the conditions of grant of registration certificate, required to pay the fees in accordance with regulation 8 read with schedule III and V of the Securities and Exchange Board of India (Stock – Brokers and Sub – Brokers) Regulations, 1992 and remit the same through the Stock Exchange of which you are a member. All the Stock Exchanges have been separately given necessary instructions in regard to collection of fees from the stock brokers and remittance thereof to SEBI.

6) आपसे यह अनुरोध है कि आप नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ लें, जिनकी एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है।

You are requested to study the rules and regulations carefully, a copy of which has already been made available to the Stock Exchange.

7) यह रजिस्ट्रीकरण इस समय भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यदि आगे चलकर आपके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है या आपको दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

14



अनुवर्ती :
Continuation :

भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड
**Securities and Exchange
Board of India**

This registration is being granted on the basis of information available with SEBI at this point of time and does not preclude SEBI from cancelling the registration later, if anything adverse is found against you or you are convicted.

आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने तथा इस पत्र के साथ संलग्न रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्राप्त होने की सूचना (प्राप्ति-सूचना) हमें अवश्य भिजवायें ।

Please acknowledge receipt of this letter together with the registration certificate.

भवदीय / Yours faithfully,

Surendra Gangavarapu

सहायक महाप्रबंधक / Assistant General Manager

प्ररूप घ
FORM D

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992
(STOCK BROKERS AND SUB-BROKERS) REGULATIONS, 1992

0000374

(विनियम 6 तथा 10ख / Regulations 6 and 10B)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

RIKHAV SECURITIES LIMITED
Trade Name: RIKHAV SECURITIES LIMITED
Office No. 922-A, 9th Floor, P.J.Tower,
Dalal Street
MUMBAI
MAHARASHTRA
400001

को प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय या व्यौहार / व्यापारों के समाशोधन तथा निपटान के क्रियाकलाप करने के लिए और ऐसे अन्य क्रियाकलाप जो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) / समाशोधन निगम (निगमों) द्वारा अनुज्ञात हों करने के लिए, बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, उसके लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्टॉक दलाल / सांपत्तिक व्यापारिक सदस्य / समाशोधन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है।

as a

Stock Broker

stock broker / proprietary trading member / clearing member for carrying on the activities of buying, selling or dealing in securities / clearing and settlement of trades and for carrying on such other activities as are permitted by stock exchange(s)/ clearing corporation(s), subject to the conditions specified therefor, from time to time, by the Board.

आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या निम्नानुसार है / Registration number allotted is as under: INZ000157737


यह प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक यह विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं हो जाता।

This certificate shall be valid till it is suspended or cancelled in accordance with the Regulations.



तारीख / Date : September 29, 2017

आदेश द्वारा / By order
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के लिए और की ओर से
For and on behalf of Securities and Exchange Board of India


SURABHI GUPTA

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory